प्रतिलिपि

संख्या 5453/ब्यूरो-2-2 (45)/79

प्रेषक,

श्री सुमन कुमार मांडवल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-शासन के समस्त सचिव एवं विशेष सचिव ।
2-समस्त सार्वजनिक निगमों/उद्योगों/उपक्रमों आदि के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकगण ।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-2, 242-जवाहर भवन

लखनऊ, दिनांक 16 फरवरी, 1980

विषय :- सार्वजनिक क्षेत्र में जन-शक्ति नियोजन, सार्वजनिक उद्योग चयन समितियों का गठन ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषयक शासकीय कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5195/ब्यूरो-2-2 (45)/79, दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 के प्रस्तर-9 तथा 10 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें कि निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति/नामांकन तथा पदों के सृजन के संबंध में निदेशक मण्डल के संकल्प का उल्लेख है । कतिपय सांविधिक संस्थानों में परिषदों/प्रबन्ध मण्डल आदि द्वारा उनके कार्यों का संचालन किया जाता है जिनमें निदेशक अथवा सदस्य होते हैं । पद "निदेशक मण्डल" से शासन का तात्पर्य सांविधिक संस्थानों के सन्दर्भ में उनके प्रबन्ध मण्डल से है चाहे वह जिस नाम से जाने जाते हों ।

2-अतः इस संबंध में स्थिति को भली-भांति स्पष्ट करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 के प्रस्तर 10 के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी शमिल की जाए :

"टिप्पणी :- (1) प्रस्तर 9 व 10 में प्रयुक्त पद "निदेशक मण्डल" से शासन का तात्पर्य सांविधिक संस्थानों के सन्दर्भ में उनके प्रबन्ध मण्डल से है, चाहे वह जिस नाम से जाने जाते हों ।

(2) सांविधिक संस्थानों के प्रबन्ध मण्डल के पदेन सदस्यों के संबंध में इस शासनादेश में उल्लिखित चयन प्रक्रिया लागू नहीं होगी" ।

3-आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुमन कुमार मांडवल,
सचिव।

संख्या-5453(1)/ब्यूरो-2-2(45)/79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलों के आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
दिनेश राय,
उप सचिव।